

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, एवं प्रशिक्षण
महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग।
नामांकन सूचना

झारखण्ड सरकार के महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग में अंतर्गत सितम्बर-2017 से प्रारंभ होने वाले सत्र 2017-19 में प्रवेश के निमित्त इच्छुक महिला उम्मीदवार से अनुसूची-(क) के अनुसार हस्तलिखित/टंकित आवेदन पत्र 10 अक्टूबर 2017 तक आमंत्रित किए जाते हैं-

1. प्रवेश पाने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है:-

(क) नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्राप्तांक मेरिट के आधार पर नामांकन नियमानुसार किया जायगा।

2. आयु अहर्ता:-

(क) 01 जुलाई 2017 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ख) सैन्य कार्रवाई में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए।

3. शुल्क:-

(क) आवेदन पत्र के साथ आवेदन पंजियन के रूप में 100/- (सौ रुपये मात्र) का पोस्टल आर्डर एक महिने के अंदर का होना चाहिए, देना होगा जो प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग के पदनाम से भुगतने होगा। किसी भी शर्त पर यह राशि नगद राशि के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी तथा न ही लौटायी जाएगी। अनुलग्नक के रूप में सभी प्रमाण पत्रों के अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ दो स्वपता लिखित लिफाफा डाक टिकट सहित समर्पित करना होगा। अपना पुरित आवेदन पत्र प्राचार्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग। पो-हजारीबाग, जिला -हजारीबाग, झारखण्ड, पिन-825301 के पते पर मात्र निबधित डाक से भेजें।

4. प्रवेश करने के समय प्रशिक्षणार्थियों को -50/ (पचास रुपये मात्र) अवधान धन (Caution mouey) राशि के रूप में जमा करना होगा।

5. आरक्षण अहर्ता:-

(क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक -7/नीती आरक्षण -06/2001 का-5886/रॉची दिनांक:-21.09.2011 के अनुसार रहेगा।

(ख) मेरिट में चुने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा बल्कि खुली गुणा-गुण कोटी के पचास प्रतिशत रिवितियों के विरुद्ध माना जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत सीटों के 30 प्रतिशत सीट सुपरन्यूमरी है, अर्थात् कुल सीट =स्वीकृत सीट + स्वीकृत सीट का 30 प्रतिशत अतिरिक्त सीट।

(ग) सुपरन्यूमरी की एक-एक सीट दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों किसी भी वर्ग के आश्रीतों के लिए आरक्षित है। बाकि बचे सुपरन्यूमरी सीट में अनुसूचित जन जाती/ अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरा जाएगा।

नामांकन हेतु सीटों के विवरणी:-

1. महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग।

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	कुल युनिट	प्रशिक्षणार्थियों के संख्या	प्रशिक्षण की अवधी
01.	मैकेनिक जेनरल इलेक्ट्रॉनिक्स	01+01=02	12	दो वर्ष

6. आवासीय अहर्ता:-सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं जो झारखण्ड राज्य के स्थानिय निवासी के श्रेणी में आते हैं। झारखण्डसरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक -14 -03/2016 का 4650 दिनांक -02 जून 2016 (संकल्प सं0-3198, दिनांक -18.04.2016) में स्थानिय निवासी को परिभाषित किया गया है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमंडल/उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

7. जाति आधारित अहर्ता:-नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमंडल/उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

8. अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के सूचनापट तथा Hazaribag.nic.in पर देखें।

प्राचार्य
महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
हजारीबाग।

अनुसूची "क"

सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश करने हेतु आवेदन पत्र

आवेदक अपना पूर्ण
हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट
साइज फोटो चिपकायें।

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम :-.....
 2. उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :-.....
(हिन्दी में) :-.....
 3. (क) पिता का नाम :-.....
(ख) अभिभावक का नाम :-.....
 4. पिता/अभिभावक का पेशा :-.....
 5. उम्मीदवार का पुरा नाम :-.....
(क) स्थायी पता :-.....
(ख) थाना :-..... गृह जिला :-..... पिन नं०
 - (ग) पत्राचार का पता :-.....
 6. उम्मीदवार का निकटतम रेलवे स्टेशन :-.....
 7. जन्म तिथि (प्रमाण-पत्र अभिप्रमाणित प्रति के साथ) :-.....
 8. दिनांक 1 जुलाई 2017 को आयु :-.....
 9. शैक्षणिक योग्यता :-.....
- कृपया प्रवेशिका से लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का विवरण दें :-

क्र०सं०	परीक्षा का नाम	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	विद्यालय/ महाविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष (वार्षिक/पूरक)	श्रेणी	प्राप्तांक	कुल अंक	परीक्षा के विषय	अभ्युक्ति
1,									
2,									
3,									
4,									

नोट:- आवेदक सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करें।

10. क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं?.....
11. क्या उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित हैं?.....
12. क्या उम्मीदवार दिव्यांग हैं ?.....
13. पिता/अभिभावक की वार्षिक आय और परिवार के व्यस्क एवं नाबालिग दोनों की अलग-अलग संख्या-.....
14. आवेदक पत्र के साथ आवेदन पंजीयन शुल्क(100/-रुपये मात्र) के रूप में संलग्न पोस्टल आर्डर (एक महीने) के अन्दर का होना चाहिए) की संख्या निर्गत होने की तिथि तथा राशि:-.....
15. अनुलग्नक की विवरणी:- 1).....2).....3).....
4).....5).....6).....7).....

मैं.....पिता का नाम.....प्रमाणित करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई है, एवं सही है।

आवेदन देने की तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर

- नोट : -(1) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित एवं वीरगती प्राप्त सैनिक के आश्रितों को अंचल पदाधिकारी /जिला उपायुक्त/जिला सोल्जर्स बोर्ड (जो संबंधित प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम हो) से उक्त वर्ग के होने का प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- (2) विकलांगों को अपना आवेदन पत्र देते समय एक फुल साइज का फोटो देना होगा तथा जिला अस्पताल के ऑर्थो-पेडिस के विभागाध्यक्ष /जिला के असैनिक शल्य चिकित्सा (civil surgeon) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।